बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

संचिका – ह0रे0/120(विविध/बाढ़ क्षतिपूर्ति)-22/2017
पत्रांक– पटना, दिनांक–

प्रेषक,

उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
सभी जिला उद्योग केन्द्र (बिहार)

MOST URGENT

विषय :– **बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में प्रभावित हस्तकरघा बुनकरों को क्षतिपूर्ति हेतु अद्यतन सूचना एक घंटा के अन्दर उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में शिल्पीवार क्षतिपूर्ति की राशि की अद्यतन सूचना एक घंटा के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

1	हस्तकरघा– कारीगरों के लिए सहायता	
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए	अनुमानित क्षति की राशि
	(ii) कच्चे माल/प्रक्रियाधीन माल/तैयार माल के क्षति के लिए	अनुमानित क्षति की राशि
2	आवास/मकान	
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान	
	i) पक्का हाउस ii) कच्चा हाउस	अनुमानित क्षति की राशि

विश्वासभाजन,
ह0

उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1146 पटना, दिनांक– 24/8/2017

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

24/8/17
उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।